

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com

Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक-792/ पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 /

दिनांक 25 / 08 / 2017

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव पुरोला मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से थली गांव तक मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नौगांव पुरोला मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से थली मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण हेतु आनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/23445/2017 में लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत है -

बिन्दु सं0 01 - इस मोटर मार्ग निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में 11.6735 है0 आरक्षित वनभूमि व मलवा निस्तारण हेतु [REDACTED] आरक्षित वनभूमि का उपयोग किया जाना है। जिसके एवज में क्षतिपूर्ति के रूप में 15.74 है0 सी0ए0 योजना गठित की गयी है, जो कि शासनादेश सं0 397/XVIII(II)/2012, देहरादून, दिनांक 29.02.2012 में निर्देश दिया है कि "वनभूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी ही भूमि दी जानी है जितनी वनभूमि योजनाओं के लिये प्राप्त की जानी है। भूमि हस्तान्तरण की आवश्यकता जिस प्रकार होगी, उसी के अनुरूप समय-समय पर वन विभाग को भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।" तथा आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु इस पत्र के साथ उक्त शासनादेश की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

बिन्दु सं0 02 - डिजिटलाइज्ड टोपो शीट सीरियल C-iii में अपलोड कर दी गयी है।

बिन्दु सं0 03 - सी0ए0 योजना के संशोधित मेप एवं के0एम0एल0 फाईल अपलोड कर दि गयी है।

बिन्दु सं0 04 - सीरियल नं0 ई0 में एम्पलाइमेन्ट की जानकारी पार्ट-I संशोधित की जा चुका है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना प्रेषित है एवं आपसे अनुरोध है कि जनहित में उक्त वनभूमि प्रस्ताव को अग्रिम स्वीकृति हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक - शासनादेश की प्रति 02 नम्बर।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रेषक,

पी.सी.शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1 मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2 आयुक्त,
गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल।
- 3 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व विभाग

देहरादून, दिनांक 29 फरवरी, 2012

विषय :- वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के लिए 20,000 हे० भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2882/XVIII(II)/11-18(120)2010, दिनांक 11 नवम्बर, 2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में यह उल्लेख किया गया है कि "वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में अब उतनी ही भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि, योजनाओं के लिए प्राप्त की जाएगी। भूमि हस्तांतरण की आवश्यकता जिस प्रकार होगी, उसी के अनुरूप समय-समय पर वन विभाग को भूमि हस्तांतरित की जाएगी"। शासन स्तर पर यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद कई मामलों में सैद्धान्तिक तथा अंतिम स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त कई योजनाओं के वन भूमि हस्तांतरण इस बीच भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त अथवा उसे भेजे गये इन प्रस्तावों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ दोगुनी अवनत वन भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसी योजनाओं की अनुमानित संख्या 140 है जिनमें एन.पी.वी. आदि भी जमा की जा चुकी है। अब यदि इन प्रस्तावों में कोई परिवर्तन होता है तो उससे इन योजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण में अनावश्यक विलम्ब होगा।

अतः ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद सैद्धान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमींदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिनमें दोगुनी

21

अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिए किये गये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तांतरित की जाए जिससे इन योजनाओं में और अधिक विलम्ब से बचा जा सके।

वर्तमान में तैयार की जा रही योजनाओं में गैर जमींदारी विनाश भूमि में से गैर वन भूमि में यदि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित है तो उसके लिए समतुल्य भूमि ही प्रस्तावित की जाएगी।

उपरोक्तानुसार शासनादेश दिनांक 11 नवम्बर, 2011 के अनुरूप कृपया क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए धनराशि तत्काल उपलब्ध कराते हुए ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रस्ताव वन विभाग को समयबद्ध आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी.सी. शर्मा)

प्रमुख सचिव

पू०प०सं०- 397 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ
3. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तांतरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर देहरादून। ✓
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)

अनुसचिव